न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस
मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 18/2018

प्रार्थीगण :–

1. घीसुलाल पुत्र गुमनारामजी
2. हडमान पुत्र गुमनारामजी जाति घांची निवासी बालोतरा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर
3.

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1 हेमाराम पुत्र भैराराम जी कुम्हार
2 लालपुरी पुत्र भागुपुरी जाति गोस्वामी
3 भरतकुमार पुत्र. रामगोपाल जी आजाद अग्रवाल
4 प्रमोदजी गुप्ता केयर ऑफ शंकरलाल रामरतन पेट्रोल पम्प
5 हंसाराम पुत्र पुनमजी जाति राजपुरोहित
6 गोविन्दसिंह पुत्र लखसिंह जी राजपुरोहित निवासी बालोतरा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान रा0भू रा0 अधि0

बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :– 1. श्री रोहित सोंलकी प्रार्थी वकील

आदेश'

दिनांक :– 11.04.2018

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खेत के पत्थरगढी हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण मे संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पुराना खसरा न0 1193/341 रकबा 3 बीघा 12 विस्वा, ख0 न0 1195/341 रकबा 05 विस्वा, ख0न0 1194/341 रकबा 03 बीघा 12 विस्वा राजस्व गांव जेरला, पटवार हल्का रामसीन तहसील पचपदरा जिला बाडमेर की सरहद में स्थित है। उक्त राजस्व कृषि भूमि प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है एवं मौके पर भी प्रार्थीगण का ही एकमात्र खातेदारी व कब्जासुदा हक है विप्रार्थीगण सख्या –1 ता 06 उपरोक्त खातेदारी भूमि के सेढा पडोसी है। विप्रार्थीगण स. 1 ता 06 बरसात के समय में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अक्सर सेढों को लेकर विवाद करते रहते है।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पैमाईश एवं नेखबंदी करवाना चाहते है।प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस दिनांक 29.01.2018 को तलब किया गया । विप्रार्थीगण संख्या 04 के वकील उपस्थिति व विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3,5,6 को सम्मन बाद तामिल के बावजूद अनुपस्थित अतः उक्त विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही कि जाती है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

...दी वकील की बहस को सुना गया। प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेख्मबंदी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अत: प्रार्थीगणकी दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि का पेमाईश एवं नेख्मबदी करने हेतु भूमापक भू0निरीक्षक बालोतरा को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो वो दोनो पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/ स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापककर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है । भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। तहरीर जारी हों भू–मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बालोतरा

Scanned by CamScanner